सेवा में,

श्रीमान कुलपति महोदय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

विषय : विश्वविद्यालय की गरिमा बनाये रखने हेतु दुराचारी शिक्षक के निष्कासन एवं समुचित विधिक कार्यवाही के संदर्भ में।

महोदय,

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में डॉ0 मनोज कुमार वर्मा सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्त हैं। महोदय को विदित हो कि डॉ0 मनोज कुमार वर्मा कक्षा में अभद्र भाषा का प्रयोग, अध्ययन–अध्यापन की परम्परा से विमुख विषयेत्तर बातें करना, छात्राओं के साथ अश्लील बातें करना, अश्लील ईशारे, छात्राओं को यौन शोषण के लिए विवश करना, भद्दे–भद्दे टिप्पणी करना इनकी कक्षा में कुकृत्य का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त छात्राओं को सोशल साइट्स के माध्यम से अश्लील संदेश भेजना, कक्षा के बाद छात्राओं का पीछा करना और छात्राओं द्वारा इसका विरोध करने पर, छात्राओं का अश्लील विडियो बनाने की धमकी देना तथा छात्राओं को अपने चेम्बर में बुलाकर अश्लील कृत्य करने के लिए विवश करना व यौन शोषण के लिए उकसाना शामिल है। छात्राओं द्वारा उक्त कुकृत्यों का विरोध करने पर अंक काटना भी शामिल है। इसी कड़ी में दिनांक 26 जनवरी 2019 को समाजशास्त्र विभाग के प्रतिष्ठित विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर अरविंद जोशी सर एवं समाजकार्य कोर्स की छात्रा का फेसबुक से फोटो अपलोड कर आपत्तिजनक व अपमान जनक टिप्पणी की। इस घटना के पूर्व में भी डॉ0 मनोज कुमार वर्मा ने कई आपत्तिजनक टिप्पणीयाँ छात्राओं के संदर्भ में की है जैसे किसी छात्रा की फेसबुक पर तस्वीर डालकर ''जी ललचाये रहा न जाये'' जैसी कुत्सित मानसिकता की टिप्पणी की व छात्रा को बदनाम किया।

Scanned by CamScanner

फेसबुक पोस्ट के माध्यम से यह खबर जब छात्र एवं छात्राओं के बीच फैली तो समाजकार्य एवं समाजशास्त्र के छात्रों ने पूरी बात समाजकार्य के अन्य वरिष्ठ छात्र अनंतनारायण मिश्रा को पूरी घटना से अवगत कराया। इसके पूर्व में भी डॉ0 मनोज कुमार वर्मा द्वारा किये गये कुकृत्यों जैसे– छात्राओं को यौनशोषण के लिए उकसाना जैसी तमाम बातों से अवगत कराया। अनंतनारायण मिश्रा एवं अन्य वरिष्ठ छात्र जब डॉ0 मनोज कुमार वर्मा से निवेदन करने गये और कहे कि आपका कृत्य **"बेटी बचाओं व बेटी पढ़ाओं"** के भारत अभियान के विरूद्ध है। इस समय बेटियों का सम्मान सरकार, शिक्षकों एवं भारतीय समाज की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इतना ही कहने पर डॉ0 मनोज कुमार वर्मा ने कहा, कि क्या ये सब तुम्हारी सगी बहनें हैं? अगर सगी होंगी तो छोड़ दूँगा नहीं तो सभी के साथ बलात्कार करूँगा। इसके प्रत्युत्तर में सभी वरिष्ठ छात्र व छात्राओं ने विरोध किया तो डॉ0 मनोज कुमार वर्मा ने भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए कहा कि फर्जी SC, ST एक्ट में तुम सबको फंसा दूँगा। यह कहकर सिढ़ियों पर मार–पीट की व जान से मारने की धमकी दी। डॉ0 मनोज कुमार वर्मा विगत कई माह से छात्राओं के मानसिक उत्पीड़न में संलिप्त हैं व शारीरिक यौन उत्पीड़न करने की चेष्टा करता रहा है। इस घटना के पूर्व भी छात्राओं की शिकायत करने पर संकाय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, महिला शिकायत प्रकोष्ठ में समितियाँ गठित हुई थी, परन्तु छात्राओं को न्याय नहीं मिला। सामाजिक विज्ञान संकाय की अधिकांश छात्राएं डॉ0 मनोज कुमार वर्मा के ऐसी दुष्कृत्यों से भय व्याप्त है तथा छात्रों में भी डॉ0 मनोज कुमार वर्मा द्वारा सदैव उनकी बहनों के बारे में अश्लील तरीके से पूछताछ करना, टिप्पणी करना जैसे कुकृत्यों से काफी रोष व्याप्त है। इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि किसी छात्रा की फोटो फेसबुक पर अपलोड करके उसके चरित्र हनन का प्रयास करें।

Scanned by CamScanner

हम सभी छात्र विश्वविद्यलय प्रशासन से यह मांग करते हैं कि साइबर अधिनियम के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया जाये।

महामना पं0 मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि चरित्र निर्माण के साथ–साथ ज्ञान एवं शिक्षा की परम्परा को स्थापित किया जा सके। मालवीय जी ने ज्ञान से भी ज्यादा महत्त्व चरित्र निर्माण पर दिया, परन्तु डॉ0 मनोज कुमार वर्मा जैसे शिक्षक ने महामना के आदर्शों, मूल्यों एवं उद्देश्यों को सदैव कलंकित किया है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सभी छात्राएं/छात्र एवं शिक्षक, डॉ0 मनोज कुमार वर्मा जैसे शिक्षक की चरित्रहीनता को बर्दास्त नहीं करेंगे। छात्राओं के सम्मान के लिए समस्त छात्र/शिक्षक एवं समस्त विश्वविद्यालय ने पूर्व में भी संघर्ष किये हैं। वर्तमान में भी संघर्षरत् है व भविष्य में भी संघर्ष करते रहेंगे। बहन, बेटियों के सम्मान व सुरक्षा का समर्थन करने की नैतिक शक्ति हम सभी छात्र एवं छात्राओं को मालवीय जी के मूल्यों व आदर्शों से मिलता है। हम सभी छात्र एवं छात्राएं मालवीय जी के मूल्यों के साथ हैं।

मालवीय जी के बगिया में फूले–फले शिक्षकों एवं छात्रों को जहाँ **भारतरत्न** जैसा सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है वहीं दूसरी तरफ डॉ0 मनोज कुमार वर्मा जैसा वहशी, दुराचारी, कुत्सित, कुंठित मानसिकता वाला शिक्षक मालवीय जी के आदर्शों को, छात्र–शिक्षक संबंधों को एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की गरिमा को शर्मसार कर रहा है।

अतः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का एक–एक छात्र व प्रत्येक शिक्षक आपसे यह मांग करते हैं कि डॉ0 मनोज कुमार वर्मा नामक जैसे दुराचारी

Scanned by CamScanner

सहायक प्राध्यापक को विश्वविद्यालय से तत्काल बर्खास्त किया जाये व समुचित विधिक कार्यवाही की जाये जिससे अन्य विश्वविद्यालयों को यह संदेश प्रेषित हो कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में चरित्रहिनता को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, व शैक्षणिक गरिमा के उच्चतम् स्तर को बनाये रखा जायेगा।

संलग्नक

- प्रथम सूचना रिपोर्ट, लंका थाना, दिनांक 28.01.2019
- पत्रक महिला शिकायत प्रकोष्ठ, बी0एच0यू0
- छात्रा शिकायत पत्रक 29.01.2019
- आपत्तिजनक टिप्पणी सहित फेसबुक पोस्ट

प्रार्थी

हस्ताक्षर –

नाम –

पंजीयन संख्या –

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रतिलिपि

1. संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, बी0एच0यू0, वाराणसी
2. प्रधानमंत्री कार्यालय
3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
4. माननीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, भारत सरकार
5. केन्द्रीय महिला अयोग
6. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
7. माननीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, राज्य सरकार
8. राज्य महिला आयोग
9. पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश शासन
10. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी
11. मुख्य आरक्षाधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
12. थानाध्यक्षम महोदय, लंका, वाराणसी

Scanned by CamScanner

10,

Date - 29/1/19

Cheif Proctor,
B.H.U
Varanasi - 221005

29/01/19

Subject - Complaint against the misbehaviour of Dr. Manoj Verma, assistant professor, Deptt. of Sociology, B.H.U.

Respected Maam,

With due respect I want to inform that
I am Ph.D research scholar in Deptt. of sociology.
B.H.U, Varanasi. I want to complain against the
untolerable misbehaviour of Dr. Manoj Verma
assistant professor, Deptt. of Sociology, B.H.U, Varanasi
When I came to know about this incident
of his misbehaviour with a student, I want to
inform that even I had faced his misbehaviour.
that he has send me messages few months
back to which I did not replied and blocked
him. He also used to roam and sit around
me and talk rubbish to me. He also spread
the rumour that he proposed me and I would
marry him. This had impacted much on
my social and personal life. He has also
misbehaved with one of my batchmate
Manjari Shukla who enrolled herself under his
supervision in Ph.D. She regularly complained
about his stubborn nature and he often
forced her to meet at different places late
at night. Therefore its my request to kindly
take strict action against him.

Yours faithfully,
[redacted]
D/o [redacted]
Mob - [redacted]

Scanned by CamScanner

शी हिन्दू विश्वविद्यालय
BANARAS HINDU UNIVERSITY
An Institution of National Importance established by an Act of Parliament
कुलसचिव कार्यालय
प्रशासन–शिक्षण
Office of the Registrar
Administration-Teaching

Sir,

I am directed to communicate you the following recommendation of the 'Women's Grievance Cell' in its meeting held on 24-01-2018 in the matter of complaint by Ms. [redacted]. Research Scholar in the Department of Sociology against her research guide i.e. Dr. C. D. Adhikary, Associate Professor, Dept. of Sociology and another teacher Dr. Manoj Kumar Verma, Assistant Professor, Dept. of Sociology, F/o Social Sciences with the request to take necessary steps:

> **"The committee resolved that the Head, Deptt. Of Sociology may be requested to resolve the Ph.D. work of Ms. [redacted] in accordance with the Ph.D. Ordinance of the University. In regard to the Administrative issue he may be requested to resolve the issue in accordance with the Rules and Regulation framed to maintain the conducive Academic Administrative environment in the Department/Faculty/University itself."**

Yours faithfully,

4/6/18

ASSTT. REGISTRAR
(ADMIN.-TEACHING)

No. AB/51-L-38/ , of date:

Copy forwarded to the Dean, Faculty of Social Sciences, BHU for information and necessary action.

ASSTT. REGISTRAR
(ADMIN.-TEACHING)

Scanned by CamScanner

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): वाराणसी   P.S. (थाना): लंका   Year (वर्ष): 2019
   FIR No. (प्र.सू.रि.   0114   Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 28/01/2019 18:36 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	323
2	भा दं सं 1860	504
3	भा दं सं 1860	506
4	भा दं सं 1860	354
5	भा दं सं 1860	354(घ)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day (दिन): सोमवार   Date From (दिनांक से 28/01/2019   Date To (दिनांक तक) 28/01/2019
      Time Period (समय अवधि): पहर 1   Time From (समय से) 00:00 बजे   Time To (समय तक): 00:00 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
      Date (दिनांक): 28/01/2019   Time (समय): 18:36 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
      Entry No. (प्रविष्टि सं.): 040   Date & Time (दिनांक और समय): 28/01/2019 18:36 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 1.5 किमी   Beat No. (बीट सं.):
      (b) Address (पता): बीएचयू
      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
      Name of P.S. (थाना का नाम):   District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name (नाम): [redacted] SINGH
   (b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम) :
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1991   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यू आईडी सं.):   Date of Issue (जारी करने की तिथि):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
      Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	छात्र समाजशास्त्र /,समाज कार्य विभाग बीएचयू,लंका,वाराणसी,उत्तर प्रदेश,भारत

Scanned by CamScanner

2	स्थायी पता	छात्र समाजशास्त्र /,समाज कार्य विभाग बीएचयू,लंका,वाराणसी,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मनोज कुमार वर्मा		पिता का नाम : अज्ञात	1. शिक्षक समाजशास्त्र /,समाज कार्य विभाग बीएचयू ,लका,वाराणसी,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):
श्रीमान् कुलपति महोदय / चीफ प्राक्टर महोदया / लंका थानाध्यक्ष महोदय, BHU, विषय- आये दिन छात्राओं से अश्लील बात, छेड़खानी करने, रास्ते में पीछा करने व फेसबुक से फोटो निकालकर अश्लील विडियो बनाकर बदनाम करने की धमकी देने व विरोध करने पर SC,ST एक्ट में फसांने व सीनियर छात्रों से मारपीट करने व गाली गलौज करने के संदर्भ में। महोदय, हम सभी छात्र-छात्रा, BHU के समाज शास्त्र / समाज कार्य विभाग के छात्र है। इस संकाय का एक शिक्षक जिसका नाम मनोज कुमार वर्मा है, जो आये दिन फेसबुक के माध्यम से व स्वंय मिलकर सदैव अश्लील बाते करता है व रास्ते में रोककर छेड़खानी करता है व मानसिक व शारिरीक रूप से प्रताड़ित करता है व विरोध करने पर अश्लील विडियो बनाकर बदनाम करने व जान से मारने की धमकी देता है, व कक्षा में भी सभी छात्राओं से गंदे-गंदे ईशारे कर अश्लील टिप्पडी करता है। आज 28/1/2019 को जब हमारे सीनियर छात्र उनसे इस सदर्भ में बात करने गये तो वे उन्हे भद्दी-भद्दी गालियाँ देना शुरु कर दिया व विरोध करने पर हमारे सीनियर छात्रों को मारने लगे व जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की। मनोज वर्मा के इस कुकृत्य से हम सभी छात्राएं डरी व सहमी हुई है, अतः ऐसे शिक्षक को विश्वविद्यालय से तत्काल निष्कासित कर इन पर अनुशासनात्मक करने की कृपा करें। प्रार्थीनी / व प्रार्थी समस्त छात्राऐं. BHU, समाजशास्त्र / समाजकार्य विभाग (1)[redacted]NGH, (2) [redacted](3)[redacted] (4)[redacted], अग्रिम कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष थाना लंका, वाराणसी को अग्रसारित। Sd सुरक्षा अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी दिनांकित 28.01.2019। नोट- मै HC बृजेश सिंह प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल मुझ द्वारा बोल कर का0 517 अजीत कुमार द्वारा कम्प्यूटर में अक्षरशः अंकित कराया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation: or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): AMRENDRA KUMAR Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(' 132760139 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

Scanned by CamScanner

1:17 AM 22%

https://m.facebook.com

Manoj Kumar Verma

जी ललचाए, रहा न जाए।

8:11 pm 30%

Search

Manoj Kumar Verma

श्रद्धेय गुरु प्रो.अरविन्द कुमार जोशी विद्यार्थी के साथ जलक्रीड़ा करते हुए।

श्रोत- फेसबुक पोस्ट

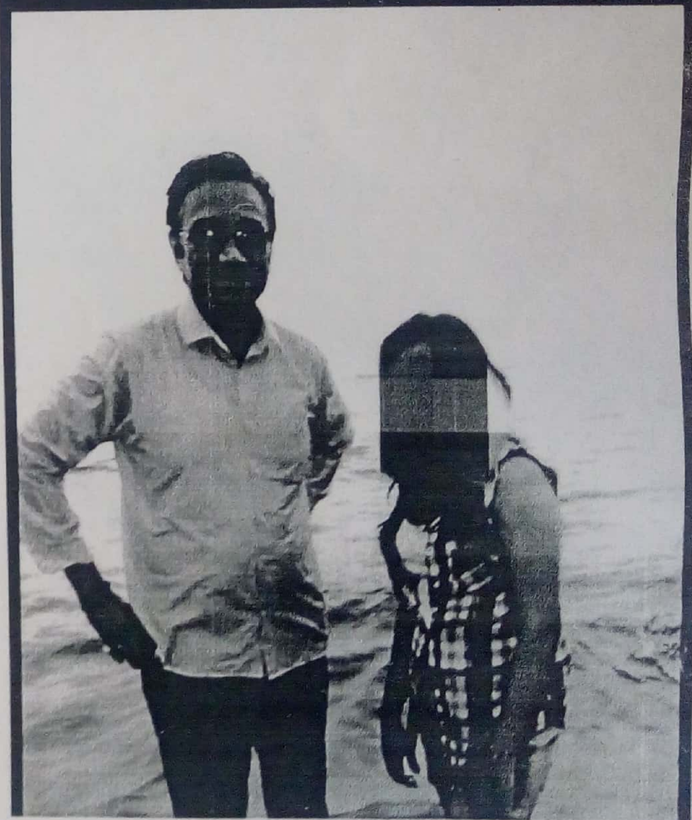

Scanned by CamScanner